न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

संशोधित राजस्व वाद संख्या 1/91/2015

वउनवान

1. कमल पुत्र मुरली जाति माली निवासी समूँची
2. रतन उर्फ पप्पू पुत्र मुरली जाति माली निवासी समूँची

तहसील कठूमर

------ वादीगण

बनाम

1. मुथरी वेवा सिंगा जाति माली निवासी समूँची
2. रघुनाथ पुत्र मुरली जाति माली निवासी समूँची
3. अतिरिक्त तहसीलदार कठूमर जिला अलवर,
4. शकुन्तला उर्फ शगुन स्त्री दौजी जाति माली निवासी डोरोली
5. गंगासिंह पुत्र अडीसाल (मृतक) जरिये वारिसान

5/1.प्रहलादसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत

5/2.सवाईसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत

5/3.मोहनसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत

5/4.कानसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत

5/5.गुड्डी पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत

5/6.पप्पी पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत

6. रतनबाई पत्नी गंगासिंह जाति राजपूत

निवासीयान ग्राम समूँची तहसील कठूमर

----- प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा एडवोकेट : वकील वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

निर्णय

दिनांक 30.04.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 941 रकवा 10 विस्वा, 1855 रकवा 16 विस्वा 1856 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा 1858 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 1862 रकवा 1 वीघा 12 विस्वा 1976 रकवा 3 वीघा 7 विस्वा 1977 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा 1979 रकवा 2 वीघा 6 विस्वा 1980 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा 1862/2403 रकवा 1 विस्वा वाके ग्राम समूँची तहसील कठूमर में स्थित है। जो साविक खसरा नम्बरान 484, 792, 1424, 1425, 1426, 1427, 1431, 1513, 1514, 1519, 1566, 1569 वाके ग्रांम समूँची तहसील कठूमर से बनाये गये है। आराजी मुतनाजा घमण्डी पुत्र औमकार माली निवासी समूँची तहसील कठूमर की कब्जे कास्त खातेदारी की आराजी थी तथा घमण्डी वादीगण का सगा दादा था और घमण्डी की बुढापे में वादीगण ने ही सेवा चाकरी की थी तथाा देखभाल व खाना पीना वादीगण ने ही किया था तथा घमण्डी ने सेवा चाकरी से खु ा होकर दिनांक 10.11.1970 को एक वसीयत वादीगण के हक में तहरीर करवाकर अपने अंगूठा निशानी किया था और उक्त वसीयत में मृतक घमण्डी ने आराजी खसरा नम्बर 752, 1424, 1425, 1427, 1431, 1513, 1514, 1519, 607 सालिम वो खसरा नम्बर 484 का 1/2 हिस्सा 614 का 1/8 हिस्सा 615 में से 1/8 हिस्सा व इस आराजी में बेडियों के जो पेड थे तथा मकान घर धूडा बाडा आदि का वो अचल सम्पत्ति को वादीगण के हक में वसीयत कर तहरीर कर दिया था कि उक्त आराजी मेरे मरने के वाद वादीगण कमल व रतन की होगी और उक्त दोनों ही उक्त आराजी के मालिक व खातेदार रहेगें। उक्त वसीयत मृतक घमण्डी ने दिनांक 10.11.1970 को रामसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत से तहरीर करवाकर होश हवाश में विना किसी दवाव के लिखवाकर अपने अंगूठा निशानी किये थे तथा मृतक घमण्डी के मरने के बाद वादीगण उक्त आराजी पर काविज रहकर उपयोग एंव उपभोग में ले रहे है तथा मौके पर वादीगण काविज है इस प्रकार वादीगण उक्त आराजी के खातेदार का तकार है। घमण्डी को मरे हुये 17–18 साल हो गये है तथा उसके मरने के दिन से वादीगण उक्त आराजी के खातेदार का तकार हो गये लकिन पटवारी हल्का

को मुताविक वसीयतनामा वादीगण के नाम तन्हा इन्तकाल दर्ज किया जाना चाहिए था और उक्त गलत इन्द्राज हो जाने की वजह से वादीगण के नाम दर्ज न होने से वादीगण के खातेदारी हकूक जायल होते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त गलत इन्द्राज को सही कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये तथा एलानियां धमकी दी है कि हमउ क्त आराजी पर जवरन कब्जा करेगें तथा तुझे जवरन वेदखल करेगें व मृतक सिंगा की विरासत का इन्तकाल हमारे नाम करवायेगें तथा उक्त आराजी को दीगर लोगों को रहन वय कर देगें। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 से मिलकर मृतक सिंगा का विरासत इन्तकाल अपने व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम इन्तकाल संख्या 946 वाके ग्राम समूॅची दर्ज गलत रूप से कराया है जो वादीगण के खिलाफ वातिल व वेअसर है तथा काविले खारिज है प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी पुत्री शकुन्तला प्रतिवादनी संख्या 4 ने गलत इन्तकाल के आधार पर तथा दावा के दौरान व अदालत हाजा से स्टे होते हुये भी दो किता वयनामें दिनांक 10.10.1995 को विना कोई जरे बय की रकम लिये व विना कब्जा संभलवाये गलत वयनामा कराये है जो वमुकाविले वादीगण शून्य करार दिये जाने योग्य है। वादीगण मुताविक वयनामा के आराजी मुतनाजा को अपने नाम खातेदारी कराने के मुस्तहक है प्रतिवादी को उक्त आराजी के वावत किसी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी की अपने नाम खातेदारी की घोशणा कराने इन्तकाल संख्या 946 वाके ग्राम समूॅची शून्य घोषित करवाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निशेघाज्ञा से पाबन्द कराने व वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्व दिनांक 04.08.2006 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1,3,4,5,6 व उनके अधिवक्ता दिनांक 20.04.2012 को हाजिर अदालत नहीं हुये उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 किता 2 प्रदर्श 1 की सत्यप्रतिलिपी पेश नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–1, नकल

जमाबन्दी संवत् 2048 प्रदर्श–2, नकल सैटलमेंण्ट जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श–3, नकल मूल वसीयत प्रदर्श–4, वयनामा की नकल दिनांक 10.10.1995 प्रदर्श–5, नकल वयनामा दिनांक 10.10.1995 प्रदर्श 6, नकल इन्तकाल संख्या 239 प्रदर्श–7, नकल आदेश दिनांक 08.12.97 वउनवान एफ आर मुथरी प्रदर्श–8, वयान नकल शिवप्रसाद प्रदर्श–9, नकल वयान रामसिंह प्रदर्श 10, असल प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत समूॅची प्रदर्श –11, नकल इन्तकाल संख्या 946 वाके ग्राम समूॅची प्रदर्श–12 की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू 1 कमल स्वंय व गवाह रामरतन पी डब्ल्यू 2 गवाह बाबू पी डब्ल्यू 3 ने वयान लेखवद्व कराये है।

वाद पत्र कुल 8 तनकियां कायम की गयीं जिनका विन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है :

तनकी संख्या 1 इस प्रकार से है कि आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 941, 1055, 1058, 1058, 1062, 1976, 1977, 1979, 1980, 1062/2403 वाके ग्राम समूॅची तहसील कठूमर मृतक घमण्डी पुत्र औमकार द्वारा की गई वसीयत दिनांक 10.11.1970 के आधार पर मृतक घमण्डी के हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षिय वहस सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व साक्ष्य गवाहान का अवलोकन किया। विद्वान अधिवकता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वसीयतनामा के आधार पर वादीगण मृतक घमण्डी की आराजीयात पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है तथा इन्तकाल नम्बर 239 तथा 946 वाके ग्राम समूॅची जो गलत रूप से स्वीकार हुये है उन्हें निरस्त कराने के अधिकारी हैं तथा इन्तकाल सं0 946 वाके ग्राम समूॅची के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 4 द्वारा कराये गये वयनामें दिनांक 10.10.95 को भी वातिल एंव वेअसर करार दिलाये जाने के अधिकारी है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वसीयतनामा एंव कब्जे के आधार पर व पत्रावली पर

उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण को खातेदारी की घोशणा कराने व वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड पत्रादि साक्ष्य गवाहान का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादी की वहस पर मनन किया। मुताविक नकल जमाबन्दी ग्राम समूॅची संवत् 2048 से 2051 प्रदर्श 2 के विवादित आराजीयात खसरा नम्बरान 941, 1855, 1856, 1858, 1862, 1976, 1977, 1979, 1980, 1862/2403 किता 10 रकवा 15 वीघा 8 विस्वा खाता संख्या 595 पर सिंगा पुत्र घमण्डी 1/2 हिस्सा कमल पप्पू रघुनाथ पि0 मुरली माली समभाग 1/2 सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताविक नकल जमाबन्दी ग्राम समूॅची संवत् 2028 से 2031 प्रदर्श पी 3 के उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान खाता संख्या 394 पर घमण्डी पुत्र औकार कौम माली सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज है। मुताविक मिलान क्षैत्रफल भू प्रबन्ध विभाग ग्राम समूॅची प्रदर्श 1 के साविक खसरा नम्बर 752 मिन रकवा 7 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 941 मिन रकवा 7 विस्वा, खसरा नम्बर 1424 रकवा 15 विस्वा 1425 मिन रकवा 1 विस्वा से 1855 रकवा 16 विस्वा साविक खसरा नम्बर 1425 मिन रकवा 1 वीघा 2 विस्वा 1426 मिन रकवा 1 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 1856 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा साविक खसरा नम्बर 1427 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 1858 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा साविक खसरा नम्बर 1431 रकवा 1 वीघा 12 विस्वा के हाल खसरा नम्बर 1862 रकवा 1 वीघा 12 विस्वा साविक खसरा नम्बर 1513 मिन रकवा 3 वीघा 7 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 1976 रकवा 3 वीघा 7 विस्वा साविक खसरा नम्बर 1564 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा से हाल खसरा 1977 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा साविक खसरा नम्बर 1513 मिन रकवा 2 विस्वा एंव 1519 मिन रकवा 2 वीघा 4 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 1979 रकवा 2 वीघा 6 विस्वा साविक खसरा नम्बर 1516 मिन रकवा 2 विस्वा एंव 1519 मिन रकवा 1 वीघा 2 विस्वा से खसरा नम्बर 1980 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा साविक खसरा नम्बर नामालुम से हाल खसरा नम्बर 2802/2403 खसरा नम्बर बनना प्रमाणित होता है। मुताविक वाद पत्र आराजी मुतनाजा घमण्डी पुत्र औंकार माली निवासी समूॅची के कब्जे

कास्तखातेदारी की आराजी थी जो नकल जमाबन्दी ग्राम समूॅची संवत् 2028 से 2031 प्रदर्श 3 के अनुसार सावित होता है। मुताविक वाद पत्र घमण्डी वादीगण का सगा दादा था। घमण्डी ने दिनांक 10.11.1970 को एक वसीयतनामा वादीगण के हक में तहरीर करवाकर अपना अंगूठा नि ानी किया था और उक्त वसीयत में मृतक घमण्डी ने आराजी मुतनाजा के उल्लेखित हिस्से की वादीगण के हक में वसीयत कर तहरीर कर दिया था। वादीगण द्वारा अपने दावा इस्तकरारहक व हुकमइन्तनाई दवामी के साक्ष्य में मूल वसीयतनामा दिनांक 10.11.1970 प्रदर्श 4 पेशकिया गया है जो शामिलपत्रावली है। वसीयतनामा दिनांक 10.11.1970 रजिस्टर्ड नहीं है। यद्यपि भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 18 के अनुसार वसीयतनामा का पंजीयन स्वेच्छिक है यानि अनिवार्य नहीं है तथापि इसके असल होने यानी फर्जी नही होने का तस्दीक होना अनिवार्य है। प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 10.11.1970 प्रदर्श 4 असल स्टाम्प पेपर किता 2 मालियत पचास नये पैसे प्रत्येक पर हस्तलिखित है। दोनों स्टाम्प पेपर के पृश्ट भाग पर उपर की ओर स्टाम्प जारी करने की इबारत ''नम्बर 809 बैल्यू 50 नये पैसे घमण्डी पुत्र औंकार माली समूॅची वास्ते बसीयतनामा दिनांक 24.09.1970 हस्ताक्षर'' अंकित है। प्रस्तुत वसीयतनामा के निश्पादन के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायधीश (क.ख.) एंव न्यायिक मजि0 कठूमर के आदेशदिनांक 08.12.1997 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श 8 को उदघृत करना उचित होगा '' परिवादी श्रीमति मथुरी ने एक परिवाद पत्र इस आ ाय का प्रस्तुत किया कि उसके पति का देहांत दिनांक 03.08.1994 को हो चुका है। अभियुक्त कमल, पप्पू रघुनाथ उसके देवर मुरली के लडके है। मुस्तगिसा के ससुर घमण्डी का सन 1978 में देहांत हो गया। और देवर मुरली का सन् 1990 में देहांत हो गया। घमण्डी के मरने के प चात उसका इन्तकाल संख्या 238 दिनांक 01.12.1978 को सीगा व मुरली के नाम स्वीकार हो चुका है, मुरली के देहांत होने के उपरांत इन्तकाल संख्या 777 दिनांक 31.05.01990 को कमल, पप्पू व रघुनाथ के पक्ष में फैसल हो चुका है। सींगा का इन्तकाल संख्या 246 सितम्बर 1994 में मुस्तगिसा व उसकी लडकी शकुन्तलाके नाम फैसल हो चुका है। मुस्तगिसा की आराजी को हडपने के लिये अभियुक्त संख्या एक ला0

तीन ने षडयंत्र रचकर एक फर्जी वसीयतनामा पहले की तारीखों में बनाया जो 10.11.70 का है। स्टाम्प बाद में पूर्व की तारीखों में लिया है जो स्टाम्प दिनांक 24.09.77 को जारी हुआ है जिसकी ओवरराइटिंग कर सन् 1977 के आखरी साल को अंग्रेजी में शून्य का बना दिया और तारीख बदलकर 24 सितम्बर तथा सात का हिन्दी में शून्य का भाब्द अंग्रेजी में हो गया। इस फर्जी जाली वसीयतनामा के आधार पर अभियुक्तगण मुस्तगिसा की जमीन को हडपना चाहते है। इस बाबत दावा भी कर दिया है। बसीयतनामा की जानकारी होने पर रामसिंह राजपूत से पूछा तो उसने सन 1970 में घमण्डी की तरफ से कोई तहरीर नहीं लिखना, सन् 1977 में कमल का उसके पास आना व घमण्डी के नाम से तहरीर लिखवाकर ले जाना, उस समय घमण्डी का साथ में नही होना बताया। वसीयत के गवाह जगन्नाथ ने भी वसीयत होने से इन्कार कर दिया। उक्त परिवाद पत्र बास्ते अनुसंधान धारा 156 (3) द.प्र'सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना खेरली को भिजवाया गया। पुलिस थाना खेरली ने वाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन यह मानते हुये कि गवाह लक्ष्मण फौत हो चुका है जगन्नाथ प्रसाद ने वसीयतनामा पर अपने हस्ताक्षर होना भानाख्त किया लिखने वाले रामसिंह ने दिनांक 10.11.70 को तहरीर करना बताया। अर्जीनवी । शिवप्रसादने स्टाम्प उसके पिता द्वारा बेचना व उसका हस्तलेख होना व तारीख 24.09.70 सही होना तथा राजस्व न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने से प्रस्तुत किया है। पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन की सूचना परिवादनी को दिये जाने पर उसने पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के विरूद्व प्रोटेस्ट पिटी ान प्रस्तुत की और गवाह रामसिंह एंव जगन्नाथ के वयान पुलिस द्वारा सही तरीके से लेखवद्व नहीं करने एंव उनके न्यायालय में कराना चाहा। जिस पर परिवादी ने स्वंय के वयान पर व गवाह रामसिंह एंव जगन्नाथ के वयान लेखवद्व कराया जिनका अवलोकन किया गया। परिवादी का मुख्य मामला यह है कि अभियुक्तगण ने वसीयतनामा की तारीख 24.09.1977 के स्थान पर दिनांक 24.09.1970 बनाते हुये दिनांक 10.11.1970 की पिछली तारीख में यह वसीयतनामा तैयार कराया है। परिवादी का ऐसा कोई कथन नहीं है कि वसीयतनामा पर घमण्डी की निशानी अंगूठा घमण्डी के स्थान पर अन्य किसी

व्यक्ति द्वारा लगाई गई हो। वसीयतनामा को देखने से प्रथम दृश्टया ऐसा आभास नहीं होता है कि दिनांक 24.09.77 को दिनांक 24.09.1970 बनाया गया हो। इसके अलावा स्टाम्प वैण्डर के लडके शिवप्रसादने अपने पुलिस वयानों में स्टाम्प अपने पिता के द्वारा वेचे जाने व स्टाम्प की पुस्त पर इवारत अपने पिता के हस्तलेख का होना व दिनांक 24.09.70 की तारीख को सही होना बतलाया है यदि स्टाम्प दिनांक 24.09.1970 को जारी नहीं किया गया तो परिवादिया को स्टाम्प रजिस्टर की नकल इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करनी चाहिए थी अथवा वह चाहती तो स्टाम्प रजिस्टर को न्यायालय में तलव करा सकती थी इसके अलावा परिवादिया के अनुसार घमण्डी का देहांत सन् 1976 में हुआ था यदि स्टाम्प दिनांक 24.09.77 को जारी हुआ और उस दिन घमण्डी जीवित था तो स्टाम्प पर दिनांक 24.09.77 के स्थान पर 24.09.70 बनाने की क्या आव यकता थी। यह समझ से परे है जहां तक बसीयतनामा का प्र न है परिवादिया ने स्वंय मृतक घमण्डी द्वारा न्यायालय ए सी एम कठूमर में प्रस्तुत राजीनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार घमण्डी को 1/2 हिस्सा व सिंगा को 1/2 हिस्सा खातेदार का तकार होना व इस प्रकार कब्जा कास्तहोना बताया है और उकत राजीनामा के आधार पर मुकदमा फैसल किया जाकर घमण्डी को 1/2 व सिंगा को 1/2 हिस्सा का मालिक माना गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वसीयतनामा से परिवादिया को कोई सदो ा हानि भी नहीं होती है इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृश्टा कोई अपराध घटित होना प्रतीत नहीं होता है। अतः पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है। केस डायरी सम्बन्धित थाना को लौटाई जाये। आदेशखुले न्यायालय में सुनाया गया।''

मुताविक आदेशदिनांक 08.12.1997 न्यायालय सिविल न्यायाधी ा (क0ख0) एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट कठूमर प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 10.11.1970 असल है एंव उसका निश्पादन तस्दीक होता है। वसीयतनामा सक्षम न्यायालय द्वारा फर्जी अथवा कूट रचित घोषित नहीं किया गया है। सत्यप्रतिलिपी वयान हस्व दफा 161 जा0फौ0 वसिलसिले मुकदमा नम्बर 137 सन् 1995 धारा 419, 420, 467, 468, 471 दिनांक 07.07.1995 थाना खेरली शिवप्रसादपुत्र श्री

मोहनलाल जाति ब्राहमण उम्र 72 साल निवासी लक्ष्मणगढ स्टाम्प वैण्डर प्रदर्श 9 एंव श्री रामसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र 64 साल निवासी समूँची प्रदर्श 10 एंव कार्यालय ग्राम पंचायत समूँची पंचायत समिति कठूमर द्वारा जारी प्रमाण पत्र वसीयतनामा दिनांक 10.11.1990 से भी निश्पादन की तस्दीक होती है।

बसीयतनामा के निश्पादन की तस्दीक होने पर वसीयतकर्ता की सम्पत्ति में मुताविक वसीयतनामा वसीयत गृहिता को हक अधिकार अर्जित हो जाते है। वसीयतकर्ता की मृत्यु होने पर वारिसान के बजाय बसीयत गृहिता को मुताविक वसीयत सम्पत्ति के हक अधिकारों का अन्तरण किया जाता है। वसीयतगृहिता को हक अधिकारों में अधिमान प्राप्त होता है। मुताविक वसीयतनामा दिनांक 10. 11.70 प्रदर्श 4 "मैं कि घमण्डी वेटा औंकार माली साकिन समूँची तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर का हूँ जो कि मेरी इस वक्त उम्र करीब 75 साल की है और मेरा वुढापे का भारीर है और जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है इसलिए मैं अपनी खातेदारी की आराजी कि जिसका मैं खुद खातेदार का तकार हूँ कि जिसकी तफसील इस प्रकार है। आराजी खसरा नम्बर 752 रकवा 7 विस्वा 1424 रकवा 15 विस्वा 1425 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा 1427 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 1431 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 1513 रकवा 3 वीघा 9 विस्वा 1514 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा 1519 रकवा 3 वीघा 7 विस्वा 607 रकवा 1 वीघा 12 विस्वा सालिम व खसरा नम्बरान 484 रकवा 6 वीघा 5 विस्वा का 1/2 हिस्सा 614 रकवा 3 वीघा 6 विस्वा का 1/8 हिस्सा व 615 रकवा 4 वीघा 6 विस्वा में से 1/8 हिस्सा वाके ग्राम समूँची है। इस आराजी का मेरे मरने के वाद मेरा नवीरे (पौते) कमल व रतन वेटा मुरली माली मालिक होगा यानि जव तक मैं जिंदा हूँ तव तक आराजी उपरोक्त का मैं खातेदार कास्तकार रहूँगा और मेरे मरने के वाद मेरे दोनों पोते कमल व रतन खातेदार कास्तकार होगें और किसी का कोई हक नहीं होगा। आराजी में जो बेडियों के पेड है उनका भी मालिक मेरे मरने के वाद मेरे दोनों पोते ही होगें। मेरे मकान घर धूडा बाडा आदि समस्त जायदाद चल व अचल सम्पतित के मेरे मरने के वाद मेरे दोनों पोते ही मालिक होगें मेरे दोनों लडके सिंगा व मुरली मेरी कोई परवाह नहीं करते है

तथा मेरे साथ अच्छा बरताव नहीं करते। इसलिए मेरे मरने के वाद मेरी जायदाद में उनका कोई हक नहीं होगा। अतः लिख दिया कि प्रमाण रहे तथा वक्त जरूरत मेरे मरने के वाद दोनों पोतों को काम आवे। यह वसीयतनामा मैंने अपनी राजी खु ी से विना किसी दवाव के तहरीर करवाया है। इस तहरीर लिखाते वक्त मेरा दिल व दिमाग विल्कुल दुरूस्त है। इस तरह मेरे मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद के मालिक व खातेदार मेरे दोनों पोते होगें। मेरे लडकों का कोई हक नहीं होगा। तारीख 10.11.1970 वकलम रामसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत बासी समूॅची।''

अतः मुताविक वसीयतनामा दिनांक 10.11.1970 के मृतक वसीयत कर्ता घमण्डी पुत्र औंकार माली निवासी समूॅची की खातेदारी भूमि तमाम चल अचल में हक अधिकार वसीयतगृहिता वादीगण कमल, रतन उर्फ पप्पू पिता मुरली माली निवासी समूॅची को वसीयतकर्ता की मृत्यु उपरांत अर्जित हो जाते है। विवादित आराजीयात पर वादीगण को कब्जे कास्त का अनुमान वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक से ही किया जाता है जिसकी पुश्टि निर्णय संलग्न पत्रावली अस्थाई निशेधाज्ञा से होती है। गवाह विवादित आराजी पर वाद वसीयत व घमण्डी के मरने के वाद से लगातार वादीगण का कब्जा देखते चले आना कथन करते है। यह तनकी वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 इस प्रकार से है कि वादीगण इन्तकाल नम्बर 946 वाके ग्राम समूॅची को वातिल वो वेअसर घोंशित कराने के अधिकारी है इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है।

तनकी संख्या 3 इस प्रकार से है कि आया आराजी मुतनाजा वावत वयनामा दिनांक 10.10.95 किता 2 प्रतिवादी सं0 1 व 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5–6 के हक में कराये गये है ये वयनामें वादीगण के हक हकूकों के मुकावले वातिल व वेअसर है। इस तनकी को सावित करने का भार भी वादीगण पर है।

चूॅकि तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन से वसीयतनामा दिनांक 10.11. 1970 के मृतक वसीयतकर्ता घमण्डी पुत्र औंकार माली की खातेदारी भूमि तमाम चल अचल में हक अधिकार वसीयत गृहिता वादीगण कमल, रतन उर्फ पप्पू पि0

मुरली माली निवासी समूँची को व वसीयतकर्ता की मृत्यु उपरांत अर्जित हो चुके है। अतः वादीगण इन्तकाल संख्या 946 वाके ग्राम समूँची जो प्रतिवादनी सं0 1 व 4 के नाम गैरकानूनी तरीके से स्वीकार हुआ है जिसके आधार पर प्रतिवादी सं0 1–4 ने प्रतिवादी संख्या 5–6 के हक में वयनामा किता 2 दिनांक 10.10.95 तहरीर व तस्दीक कराये गये है उक्त इन्तकाल व वयनामें गैरकानूनी होने से वादीगण इन्हें वातिल व वेअसर घोशित कराने के अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 2–3 वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 इस प्रकार से है कि आया वादीगण प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा से हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 ला03 के विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा पाया गया है तथा वादीगण विवादित आराजी वावत खातेदारी घोशित कराने के अधिकारी पाये गये है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 इस प्रकार से है कि आया वादीगण द्वारा कराई गई वसीयत दिनाक 10.11.1970 फर्जी व जाली है।

तनकी संख्या 6 इस प्रकार से है कि आया आराजी मुतनाजा पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 5–6 का है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है।

तनकी संख्या 6 इस प्रकार से है कि आया दावे का सत्यापन सही नहीं है। अतः दावा वादीगण काविले खारिज है। तनकी संख्या 5 ला0 7 को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी 2 वावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया व प्रतिवादी संख्या 1,3,4,5,6 ने जवाव दावा पेशकिया लेकिन इसके वाद इनके द्वारा मुकदमा की पैरवी के लिये उप0 नहीं होने से एकपक्षिय कार्यवाही की गई है और ना कोई उज्र व एतराज पेशकिये। इससे सावित होता है कि प्रतिवादीगण ने मृतक घमण्डी द्वारा वादीगण के हक में कराई गयी

वसीयत की मौन स्वीकृति दी है। अतः तनकी संख्या 5,6,7 विरूद्व प्रतिवादीगण वहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 8 दादरसी की है चूँकि उपरोकत सभी तनकिया वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की गई है। प्रतिवादीगण जान वूझ कर मुकदमा की पैरवी के लिये उपस्थित नहीं हुये है। अतः प्रतिवादीगण दावा हाजा में किसी तरह की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि वयान गवाहान के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की वहस पर मनन करने पर वाद वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वसीयतनामा दिनांक 10.11.70 की अवहेलना में स्वीकृत किये गये मृतक घमण्डी की विरासत का नामान्तकरण संख्या 239 दिनांक 01.12.1978 एंव मृतक सिंगा पुत्र घमण्डी की विरासत नामान्तकरण संख्या 946 दिनांक 14.09.1994 निरस्त किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 मुथरी वेवा सिंगा जाति माली निवासी समूँची एंव प्रतिवादी संख्या 4 शकुन्तलाउर्फ भाकुन स्त्री दोजी जाति माली निवासी डोरोली द्वारा निश्पादित विकय पत्र कमांक 509दिनांक 10.10.1995 एंव वयनामा कमांक 506 दिनांक 10. 10.1995 वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्व अकृत एंव शून्य घोशित किये जाते है। विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 941 रकवा 10 विस्वा, 1855 रकवा 16 विस्वा 1856 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा 1858 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 1862 रकवा 1 वीघा 12 विस्वा 1976 रकवा 3 वीघा 7 विस्वा 1977 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा 1979 रकवा 2 वीघा 6 विस्वा 1980 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा 1862/2403 रकवा 1 विस्वा वाके ग्राम समूँची तहसील कठूमर का वादीगण कमल पुत्र मुरली

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

जाति माली निवासी समूॅची एंव रतन उर्फ पप्पू पुत्र श्री मुरली जाति माली निवासी समूॅची तहसील कठूमर को खातेदार कास्तकार घोशित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करने के आदेशदिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे कास्तमें बाधा व दखलनदाजी पैदा ना करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 30.04.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

संशोधित राजस्व वाद संख्या 1/91/2015

वउनवान

1. कमल पुत्र मुरली जाति माली निवासी समूँची
2. रतन उर्फ पप्पू पुत्र मुरली जाति माली निवासी समूँची तहसील कठूमर

------ डिक्रीदारान

बनाम

1. मुथरी वेवा सिंगा जाति माली निवासी समूँची
2. रघुनाथ पुत्र मुरली जाति माली निवासी समूँची
3. अतिरिक्त तहसीलदार कठूमर जिला अलवर,
4. शकुन्तलाउर्फ शगुन स्त्री दौजी जाति माली निवासी डोरोली
5. गंगासिंह पुत्र अडीसाल (मृतक) जरिये वारिसान

5/1. प्रहलादसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत

5/2. सवाईसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत

5/3. मोहनसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत

5/4. कानसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत

5/5. गुड्डी पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत

5/6. पप्पी पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत

6. रतनबाई पत्नी गंगासिंह जाति राजपूत

निवासीयान ग्राम समूँची तहसील कठूमर

----- मदयूना

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वसीयतनामा दिनांक 10.11.70 की अवहेलना में स्वीकृत किये गये मृतक घमण्डी की विरासत का नामान्तकरण संख्या 239 दिनांक 01.12.1978 एंव मृतक सिंगा पुत्र घमण्डी की विरासत नामान्तकरण संख्या 946 दिनांक 14.09.1994 निरस्त किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 मुथरी वेवा सिंगा जाति माली निवासी समॅूची एंव प्रतिवादी संख्या 4 शकुन्तलाउर्फ भाकुन स्त्री दोजी जाति माली निवासी डोरोली द्वारा निश्पादित विक्रय पत्र क्रमांक 509दिनांक 10.10.1995 एंव वयनामा क्रमांक 506 दिनांक 10. 10.1995 वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्व अकृत एंव शून्य घोशित किये जाते है। विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 941 रकवा 10 विस्वा, 1855 रकवा 16 विस्वा 1856 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा 1858 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 1862 रकवा 1 वीघा 12 विस्वा 1976 रकवा 3 वीघा 7 विस्वा 1977 रकवा 2 वीघा 19 विस्वा 1979 रकवा 2 वीघा 6 विस्वा 1980 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा 1862/2403 रकवा 1 विस्वा वाके ग्राम समॅूची तहसील कठूमर का वादीगण कमल पुत्र मुरली जाति माली निवासी समॅूची एंव रतन उर्फ पप्पू पुत्र श्री मुरली जाति माली निवासी समॅूची तहसील कठूमर को खातेदार कास्तकार घोशित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 एंव 4 का नाम 1/2 हिस्से पर दर्ज है उसे कलमजन करने के आदेशदिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे कास्तमें बाधा व दखलनदाजी पैदा ना करें।

आज दिनांक 30.04..2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर